

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा(छ.ग.)

-:: आदेश ::-

क्रमांक / 448 / एस.डब्ल्यू. / 2020

बलौदाबाजार, दिनांक 23.03.2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को देखते हुए स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय कोर कमेटी गठित की जाती है :-

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. कलेक्टर                                 | -अध्यक्ष    |
| 2. पुलिस अधीक्षक                           | -सदस्य      |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत    | -सदस्य      |
| 4. जिला शिक्षा अधिकारी                     | -सदस्य      |
| 5. डिप्टी कलेक्टर, जिला कार्यालय           | -सदस्य      |
| 6. जिला परिवहन अधिकारी                     | -सदस्य      |
| 7. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास             | -सदस्य      |
| 8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी    | -सदस्य सचिव |
| 9. सिविल सर्जन, जिला अस्पताल               | -सदस्य      |
| 10. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास | -सदस्य      |
| 11. खाद्य अधिकारी                          | -सदस्य      |

जिला स्तरीय कोर कमेटी द्वारा प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण पर उठाये जा रहे एहतियाती उपायों की समीक्षा किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



*Muvel*  
23-03-2020

(कार्तिकेया गोयल) I.A.S  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  
बलौदाबाजार-भाटापारा  
बलौदाबाजार, दिनांक 22.03.2020

पृ. क्रमांक / 449 / एस.डब्ल्यू. / 2020  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कोर कमेटी के समस्त सदस्य को पालनार्थ प्रेषित।

*Muvel*  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  
बलौदाबाजार-भाटापारा